एवं इसके अलावा समाजशास्त्र के प्रति विशेष भारतीय दृष्टिकोण को विकसि
आवश्यक था जो देश की स्वयं की सांस्कृतिक परम्पराओं और सामाजिक संरच
आधारित हो। घुर्ये की भारत के मानव विज्ञान के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिक
पश्चिमी भारत के एक आदिवासी समुदाय, भील पर इनके द्वारा व्यापक रूप से
किया गया और इस शोध कार्य से भारत में मानव विज्ञान को अनुशासन
स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई। उनके इस अध्ययन से आदिवासी स
सांस्कृतिक विविधता को समझने के महत्त्व एवं इन समाजों का अध्ययन
आवश्यकता पर बल दिया गया।

घुर्ये ने सामाजिक असमानता और सामाजिक न्याय के अध्ययन के क्षेत्र
महत्त्वपूर्ण कार्य किये। उन्होंने बताया कि सामाजिक असमानता भारतीय स
एक मूलभूत पहलू है लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सामाजिक अ
भारतीय समाज का एक मूलभूत पहलू है परन्तु उनका यह मानना था कि स
न्याय एवं समानता की दिशा में भी कार्य करना संभव है। उन्होंने स
समस्याओं के समाधान हेतु भारत में शिक्षा एवं सामाजिक सुधार पर विशेष ज
और इसको समझने और संबोधित करने में इन्होंने सामाजिक विज्ञान अनुस
महत्त्व की वकालत भी की। घुर्ये ने धर्म को सामाजिक संस्था के रूप में अध्
बल दिया। धर्म भारतीय समाज का व्यापक पहलू है जिसने सामाजिक मानदंड
और व्यवहारों को आकार देने में विशेष भूमिका का निर्वाहन किया है। इन्होंने
कि धर्म केवल आस्था से संबंधित न होकर एक सामाजिक संस्था भी है
अध्ययन समाजशास्त्री तरीकों के प्रयोग से संभव है।

1.4.6. भारत में जाति व्यवस्था पर घुर्ये के विचार (Ghu Ideas on Caste System in India)

जाति प्रथा एक अनोखी एवं विचित्र संस्था है जो धर्म की सीमा से बाहर हि
लिए अनूठी अभिव्यक्ति है। यह संस्था वास्तव में हिन्दू जीवन को दूसरों स
करती है जिस कारण अनेक विदेशी एवं भारतीय विद्वान इस ओर आकर्षित
कई विद्वानों ने जाति प्रथा को ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर विभिन्न युगों
वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। डॉ. घुर्ये जो एक भारत विद्याश
उन्होंने भी परम्परागत जाति–प्रथा का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।
यह भी स्वीकार किया है कि "कठिन परिश्रम के उपरान्त भी हमारे पास ज
कोई वास्तविक सामान्य परिभाषा नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परिभा
के हर प्रयत्न का विषय की जटिलता के कारण असफल होना निश्चित है।"
संभवतः घुर्ये ने जाति व्यवस्था को उसकी संरचनात्मक एवं संस्थात्मक आधार
विशेषताओं के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है।

1) **समाज का खण्डात्मक विभाजन (Segmental Division of Society)**–ज
द्वारा मूलरूप से पूर्ण हिन्दू समाज को अलग–अलग खण्डों में विभक्त किया
सभी खण्ड के सदस्यों की स्थिति, स्थान, पद एवं कार्य निश्चित है। डॉ.
खण्ड के विभाजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि "जाति–प्रथा द्वारा
समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है और समग्र समुदाय के प्रति
एक जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति कर्तव्यबोध होता
जाति के लोग जातीय नियमों अथवा कर्तव्यबोध के अनुसार अपने पद एवं
दृढ़ता के साथ स्थित रहते है, और यदि किसी के द्वारा उन्हें तोड़ा जाता है
दण्ड का भागी होता है।

जातीय नियमों को तोड़े जाने पर जातीय परिषदों द्वारा निम्नलिखित दण्ड व्यवस्था भी घुर्ये द्वारा की गई है–

i) अस्थायी अथवा स्थायी रूप से जाति से बहिष्कृत किया जाना।
ii) जुर्माना लगाना।
iii) जाति के ही सदस्यों को भोजन कराना।
iv) शारीरिक दण्ड प्रदान करना।
v) कभी–कभी धार्मिक प्रायश्चित करना।

जुर्माने द्वारा प्राप्त रकम से सम्मिलित भोजन अथवा पंचायत द्वारा कभी–कभी इसे परोपकार के कार्यो हेतु व्यय कर दिया जाता था। "जाति स्वयं अपनी शासक है।" यह कथन पूरी तरह से जाति परिषद के कार्यो से सही प्रतीत होता है। घुर्ये ने समाज के खण्डात्मक विभाजन की विशेषता को स्पष्ट रूप से जाति के आधार पर समझाते हुए लिखा है कि परिवार, धर्म, विवाह एवं मृत्यु से सम्बन्धित रीति–रिवाजों में भी अलग–अलग जातियों में बहुत अन्तर मिलता है। ब्राह्मणों में विधवा–विवाह की आज्ञा नहीं थी और न ही जाति प्रथा के रूप में रखैल प्रणाली को सहन करते थे। परन्तु कई निम्न जातियों के संदर्भ में यह बात नहीं कही जा सकती।

सांस्कृतिक विषयों के सम्बन्ध में ही केवल अनेक जातियों के मध्य अन्तर नहीं था बल्कि सैद्धान्तिक रूप से आचार के अलग–अलग सांस्कृतिक स्तर भी थे। जैसे–ब्राह्मण सरकार द्वारा मदिरा उत्पादन एवं बिक्री निषेध कानून के निर्माण में भंडारी, कोली जैसी अनेक जातियों को उसके प्रभाव से अलग रखा गया परन्तु ब्राह्मण एवं प्रभु जाति तथा सरकारी अधिकारियों हेतु इसका प्रयोग कठोरता से निषेध किया। अलग–अलग जातियों के बीच नैतिकता एवं रीति–रिवाज को लेकर अन्तर इस बात से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक काल में केवल पंडितों की सहमति रीति–रिवाजों के सम्बन्ध में लेता था बल्कि अन्य सम्बद्ध जातियों की सहमति भी इसके लिए ली जाती थी।

मृत्यु संस्कार के बारे में हिन्दुओं में कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। किसी व्यक्ति के मर जाने पर मृत शरीर को श्मशान लेकर दाहसंस्कार करने हेतु उसके जाति के सदस्यों को निमंत्रण दिया जाता था। विवाह के समय भी सभी से अनुमति प्राप्त कर जाति के सदस्यों को भोजन कराया जाता था। वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य कार्यों में भी जाति के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होता था। अतः स्पष्ट है कि सभी जातियों की अपनी सामाजिक दुनिया होती है और यह एक बड़े समुदाय में रहते हुए भी एक–दूसरे से अलग–अलग है।

संस्तरण (Hierarchy)–घुर्ये के अनुसार, "जाति–समाज का मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों की श्रेणीबद्धता या संस्तरण है। भारत में सर्वत्र जातियों में सामाजिक वरिष्ठता विद्यमान है, जिसमें ब्राह्मण इस श्रेणी–विभक्त संस्था का प्रमुख है।" इससे स्पष्ट है जाति प्रथा में निर्धारित खण्डों में ऊँच नीच का संस्तरण होता है जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च होती है। तत्पश्चात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इमें शूद्र का स्थान धीरे–धीरे निम्न होता गया। यह संस्तरण जन्म पर आधारित होने के कारण स्थिर और मजबूत था। जिस कारण उच्च संस्तरण तक पहुँचना असम्भव नहीं परन्तु कठिन अवश्य था। घुर्ये के अनुसार उच्च स्थिति के ब्राह्मण एवं निम्न स्थिति के अछूतों के मध्य का जातीय संस्तरण स्पष्ट नहीं हो पाता था क्योंकि मध्य जातियाँ अपने आप को उच्च जातियों के साथ जोड़ कर अपनी सामाजिक स्थिति बताती थी। ऐसा करने से